न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 54 / 2024
प्रविष्टि दिनांक 07.05.2024

विष्णु कुमार मीणा पुत्र सत्यनारायण मीणा निवासी भगवानपुरा पंचायत मालेडा तहसील देवली जिला टोंक राज0

अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी टोंक राज.

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 10.10.2023 जिला रसद अधिकारी टोंक

उपस्थितिः–
1. श्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, अभिभाषक –अपीलान्ट
2. पेराकार सरकार –रेस्पाडेन्ट

निर्णय दिनांकः– 21.05.2025

अपील अपीलान्ट का सांराश इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक ने आदेश दिनांक 17.02.2021 से श्री सत्यनारायण मीना उचित मूल्य दुकानदार रामथला तहसील देवली जिला टोंक का प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए अप्रार्थी डीलर की जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूत राशि 1000 रूपये जब्त सरकार करते हुये प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने पर डीलर के पुत्र व पत्नि द्वारा न्यायालय हाजा मे उक्त आदेश की अपील करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.10.2021 को पारित निर्णय मे जिला रसद अधिकारी टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि समस्त रिकार्ड व दस्तावेजात की जांच कर तथा पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर न्यायहित मे पुनः विधिवत निर्णय पारित करे का उल्लेख किया गया है। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 20.10.2021 की पालना मे जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा पुनःदिनांक 10.10.2023 को निर्णय पारित किया है,उक्त आदेश से अपीलान्ट व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट एंव पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एंव साक्ष्य का सही रूप से विवेचन नही किया है। राज्य सरकार द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 29.07.2019 मे स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि यदि कार्यरत प्राधिकार पत्र धारी डीलर

जिला कलेक्टर
टोंक

की साठ वर्ष की उम्र तक मृत्यु हो जाती है तो 90 दिवस के भीतर उसके वारिस द्वारा अनुकम्पा आवेदन करने पर प्राथमिकता के कम मे मृतक के स्थान पर मृतक के वारिसान को उचित मूल्य की दुकान का आवंटन किया जायेगा। अपीलांट द्वारा विधिवत रूप से लाईसेंसी मृतक पिता के देहान्त 90 दिवस के भीतर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन मय दस्तावेजात प्रस्तुत कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त परिपत्र पर ध्यान नही देकर भारी भूल की है। दिनांक 20.05.2020 को मृतक सत्यनारायण की दुकान के निरीक्षण किये जाने के बाद से ही मृतक लगातार मानसिंक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहा था, डिप्रेशन व हदयाघात होने से अन्ततः दिनांक 11.10.2020 को उनकी मृत्यु हो गई। मृतक डीलर द्वारा अपने जीवन काल मे उस पर आरोपित कथित अनियमितताओं का स्पष्टीकरण मय दस्तावेजात प्रस्तुत कर दिया गया था और समस्त सामग्री का ब्यौरा भी दे दिया गया था। मृतक के देहान्त के बाद उसके पुत्र अपीलांट द्वारा भी कई बार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजात व सामग्री से सम्बन्धित ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, परन्तु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बार-बार कारण बताओं नोटिस जारी करके भारी भूल की है। मृतक राशन डीलर का देहान्त दिनांक 11.10.2020 को हो गया था, जिसकी सूचना दिनांक 11.11.2020 को अपीलांट द्वारा जिला रसद अधिकारी टोंक को अपने अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था, परन्तु विभाग द्वारा दिनांक 17.02.2021 को लाईसेंसी की मृत्यु के बाद लाईसेंस निरस्त कर दिया गया और उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर भारी भूल की है। मृतक राशन डीलर के देहान्त के बाद उसके पुत्र अपीलांट द्वारा दुकान को सम्भाला तब उसके द्वारा बकाया हिसाब व दस्तावेजात आदि अटेच दुकान को सम्भलाकर रसीद प्राप्त कर ली गई थी। इस सम्बन्ध मे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे Rection after action I.e after thought अंकित किया है, जो इस श्रेणी मे जब आता जब मृतक राशन डीलर जीवित होता। मृतक लाईसेंसी स्वभाव से ही समाज सेवी था। आकस्मिक निरीक्षण के समय कोरोना महामारी का काफी प्रकोप था और उसके द्वारा कम संसाधन मे गाईड लाईन के अनुसार घर-घर जाकर राशन पहुंचाया गया। जिसमें उसके द्वारा राशन वितरण करना और सम्पूर्ण खानापूर्तिया उसी समय दुकान पर आकर करना काफी असुविधाजनक रहा होगा। मृतक डीलर द्वारा अपने जीवनकाल में कथित रूप से आरोपित अनियमितताओं का सन्तोषप्रद जवाब प्रस्तुत किया गया था और उसके देहान्त के बाद अपीलांट द्वारा भी जाँच मे सम्पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई ध्यान नही दिया गया। दिनांक 10.10.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के बाद से अपीलांट का पूरा परिवार मानसिक आर्थिक रूप से आहत है और अपीलांट की माता सोहनी काफी बीमार हो गई है। इस कारण अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने हेतु रूपयों का इन्तजाम करने मे देर हो गई जो न्यायहित मे कण्डोन की जावे। इस हेतु अपीलांट द्वारा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन अलग से मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया जिसे निरस्त किया जावे।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस में कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक देवली द्वारा उचित मूल्य दुकानदार रामथला तहसील देवली (पोस कोड नं0 12991) की दुकान का दिनांक 20.05.2020 को आकस्मिक निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें अप्रार्थी डीलर द्वारा निम्नांकित अनियमितताऐं किया जाना पाई गई। वक्त निरीक्षण दुकान पर उचित मूल्य दुकान लिखा हुआ नहीं पाया गया एवं प्राधिकार पत्र व प्रमाणित नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया। वक्त निरीक्षण स्टॉक रजिस्टर का संधारण करना नहीं पाया गया।वक्त निरीक्षण मूल्य सूची बोर्ड पर आवश्यक सूचना

जिला कलेक्टर
टोंक

अंकित होना नहीं पाया गया।वक्त निरीक्षण पोस मशीन स्टॉक व भौतिक रूप से उपलब्ध गेहू का मिलान करने पर 341 कट्टे (प्रति कट्टा भर्ती 50 किलोग्राम) कम पाये गये।वक्त निरीक्षण दुकान पर उपस्थित उपभोक्ताओं से पूछताछ करने पर उन्होंने बिना ओटीपी से गेहू निकालने व डीलर द्वारा उनको गेहू नहीं दिये जाने बाबत अवगत कराया गया।अप्रार्थी डीलर की पोस मशीन पर अग्रिम माह जून 2020 के पेटे 6698 किलोग्राम गेहूं पोस मशीन पर अपडेट नहीं हुआ तथा 341 कट्टे जिनका वजन 17050 किलोग्राम गेहू वक्त निरीक्षण नहीं मिला व 10713 लीटर केरोसीन तथा 36.50 किलोग्राम चीनी का गबन किया गया है। उक्त अनियमितता करने पर अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र इस कार्यालय के आदेश कमांक/अभियोग/2020/501 दिनांक 21.05.2021 द्वारा निलम्बित किया गया एवं अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस क्रमांक /अभियोजन/512 दिनांक 21.05.2020 जारी कर अनियमितता का बिन्दूवार जबाब मांगा गया। अप्रार्थी डीलर द्वारा दिनांक 24.09.2020 को बिन्दूवार जवाब प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान का नाम बरसात के पानी से कारण खराब हो गया था अब सही लिखवा लिया गया है। पूर्व में स्टॉक रजिस्टर भर जाने के कारण नया स्टॉक रजिस्टर का संधारण अब कर लिया गया है। मूल्य सूची बच्चों द्वारा मिटा दी गयी थी,परन्तु अब सही स्पष्ट लिखवा दी गयी है। उपभोक्ताओं को खाद्यान्न सामग्री वितरण करवा दी गयी है एव उपभोक्ताओं से प्रार्थना पत्र लेकर प्रस्तुत है। लॉकडाउन की स्थिति में घर–घर होम डिलेवरी करने के कारण गांव में ही उपभोक्ताओं के गेहूं रखवा दिये गये थे इसलिए वक्त निरीक्षण गेहूं कम पाये गये।अप्रार्थी डीलर के जवाब के परिपेक्ष में प्रवर्तन निरीक्षक देवली से जवाब पर टिप्पणी चाही गयी। प्रवर्तन निरीक्षक देवली ने जवाब पर टिप्पणी दिनांक 17.02.2021 को प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है। डीलर को जारी नोटिस के बिन्दू सख्या 01 में आरोप है कि उसके द्वारा दुकान पर उचित मूल्य की दुकान नहीं लिखा हुआ था जवाब में डीलर ने बताया है कि बरसात आने के कारण खराब हो गया था अब सही लिखवा लिया गया है। नियमानुसार दुकान के बाहर सहज दर्शय शब्दों में उचित मूल्य की दुकान लिखा होना चाहिए।अतः उक्त आरोप डीलर पर प्रमाणित है।नोटिस के बिन्दू संख्या 02 में आरोप है कि डीलर द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण किया जाना नहीं पाया गया। इसके जवाब में डीलर ने लिखा है कि स्टॉक रजिस्टर भर जाने के कारण व स्टॉक रजिस्टर का संधारण कर लिया गया है। अतः वक्त जॉच स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं था। अतः यह आरोप भी डीलर पर प्रमाणित है। नोटिस के बिन्दू संख्या 03 में आरोप है कि मूल्य सूची बोर्ड पर आवश्यक सूचना अंकित होना नहीं पाया गया डीलर ने जवाब में लिखा है कि मूल्य सूची बच्चों द्वारा मिटा दी गई थी,परन्तु अब सही स्पष्ट लिखवा दी गई है। नियमानुसार मूल्य सूची बोर्ड दुकान के बाहर सहज दृश्य स्थान पर होना चाहिए था।अतः उक्त आरोप डीलर पर प्रमाणित है। नोटिस के बिन्दू सख्या 04 में आरोप है कि वक्त निरीक्षण पॉस मशीन स्टॉक व भौतिक रूप से उपलब्ध गेहूँ का मिलान करने पर 341 कट्टे प्रति कट्टा 50 किलोग्राम के कम पाये गये डीलर के जवाब में लिखा है कि लॉकडाउन की स्थिति में घर–घर होम डिलेवरी करने के कारण गाँव में ही उपभोक्ताओं के गेहूँ रखा दिये गये थे इसलिए कम पाये गये जबकि नियमानुसार होम डिलबेरी करने के बाद राशन सामग्री उचित मूल्य दुकान के प्रमाणित गोदाम के होना चाहिए। बिन्दू सख्या 05 में आरोप है कि वक्त निरीक्षण दुकान पर उपस्थित उपभोक्ता श्री मदन लाल पुत्र महावीर माली श्री रामरतन कुम्हार पुत्र छीतर मल कुम्हार ,श्री मंगला पुत्र माधो माली, रामधन जाट पुत्र मक्खन राम से पूछताछ करने पर बताया की डीलर द्वारा ओटीपी से गेहूँ निकाल लिया गया है,जो वक्त निरीक्षण तक उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया है,परन्तु जवाब में डीलर ने लिखा है शिकायत में दर्ज राशन कार्ड धारियों द्वारा राशन सामग्री प्राप्त कर ली है। प्रवर्तन निरीक्षक देवली द्वारा अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि डीलर द्वारा स्टॉक स्थानान्तरण की प्रस्तुत रसीदों व अटैच डीलर द्वारा प्राप्ति रसीद के आधार पर डीलर द्वारा 17050 किलोग्राम

जिला कलक्टर
टोंक

गेहूँ व 36.50 किलोग्राम चीनी अटैच डीलर जीएसएस रामथला को सुपुर्द कर दी गई है। उक्त सामग्री मोके पर जाकर अटेच डीलर जीएसएस रामधला को सुपुर्द करवादी गई है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नोटिस का जवाब असंतोषप्रद है। प्रवर्तन निरीक्षक देवली से ली गयी टिप्पणी अनुसार डीलर की दुकान में वक्त गेहू चीनी व केरोसीन की मात्रा कम पायी गयी थी, बाद में अटेच डीलर को सामग्री सम्मलाना Reaction after action I.e after thought की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी डीलर द्वारा उक्त कृत्य कर गम्भीर अनियमितता करना एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों की अवहेलना करना पाया गया है जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 का उल्लंघन है। अप्रार्थी डीलर के वारीसान पुत्र श्री विष्णु कुमार मीना द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनाक 17.02.2021 के विरुद्ध माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर टोक में अपील की गयी। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.10.2021 द्वारा प्रकरण इस कार्यालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) पत्रावली किया गया कि समस्त रिकार्ड व दस्तावेजात की जांच कर तथा पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर न्यायहित में पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। न्यायालय द्वारा श्री विष्णु कुमार मीना को सुनवाई का काफी अवसर प्रदान किया गया,परन्तु उसके द्वारा साक्ष्य सहित संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक देवली द्वारा अपनी टिप्पणी/रिपोर्ट में अंकित किया की निरीक्षण दिनाक को पोस मशीन पर कुल 10713 लीटर केरोसीन प्रदर्शित होना पाया गया। ऑनलाईन रिपोर्ट अनुसार अक्टूबर 2016 से नवम्बर 2022 तक 13012 लीटर केरोसीन का वितरण पाया गया,परन्तु दुकान पर केरोसीन के आमद के सम्बन्ध में कोई स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाया गया। प्रकरण में श्रीमान उप विधि परामर्शी महोदय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर से मृतक उचित मूल्य दुकानदार के निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र को मृतक डीलर के प्राधिकार पत्र को बहाल करने सम्बन्धी एवं निरस्त प्राधिकार के दौरान मृतक के पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति देने या नहीं देने के सम्बन्ध में विधिक राय चाही जाने पर खाद्य विभाग द्वारा पत्र दिनांक 28.03.2022 द्वारा मृतक के पुत्र एवं पत्नी को नोटिस जारी कर सुनवाई करने बाबत राय प्राप्त हुई थी। जिसके पश्चात मृतक डीलर के पुत्र एवं पत्नी को नोटिस जारी कर समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया,परन्तु उसके द्वारा नोटिस के समस्त बिन्दुओं का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अपीलाण्ट के पिता डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लधंन करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रवर्तन निरीक्षक देवली द्वारा उचित मूल्य दुकानदार रामथला तहसील देवली (पोस कोड नं0 12991) की दुकान का दिनांक 20. 05.2020 को आकस्मिक निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें अप्रार्थी डीलर द्वारा निम्नांकित अनियमितताए पाई गई। वक्त निरीक्षण दुकान पर उचित मूल्य दुकान लिखा हुआ नहीं पाया गया एवं प्राधिकार पत्र व प्रमाणित नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया। वक्त निरीक्षण स्टॉक रजिस्टर का संधारण करना नहीं पाया गया।वक्त निरीक्षण मूल्य सूची बोर्ड पर आवश्यक सूचना अंकित होना नहीं पाया गया। वक्त निरीक्षण पोस मशीन स्टॉक व भौतिक रूप से उपलब्ध गेहूं का मिलान करने पर 341 कट्टे (प्रति कट्टा भर्ती 50 किलोग्राम) कम पाये गये।वक्त निरीक्षण दुकान पर उपस्थित उपभोक्ताओं से पूछताछ करने पर उन्होंने बिना ओटीपी से गेहू निकालने व डीलर द्वारा उनको गेहू नहीं दिये जाने बाबत अवगत कराया गया।अप्रार्थी डीलर की पोस मशीन पर अग्रिम माह जून 2020 के पेटे 6698 किलोग्राम गेहूं पोस मशीन पर अपडेट नहीं हुआ तथा 341 कट्टे जिनका वजन 17050 किलोग्राम गेहू वक्त निरीक्षण नहीं मिला व 10713 लीटर केरोसीन तथा 36.50

जिला कलेक्टर
टोंक

किलोग्राम चीनी का गबन किया गया है। उक्त अनियमितता करने पर अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र को निलम्बित किया गया एवं अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी कर अनियमितता का बिन्दुवार जवाब मांगा गया। डीलर द्वारा दिनाक 24.09.2020 को बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है। वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान का नाम बरसात के पानी से कारण खराब हो गया था अब सही लिखवा लिया गया है। पूर्व में स्टॉक रजिस्टर भर जाने के कारण नया स्टॉक रजिस्टर का संधारण अब कर लिया गया है। मूल्य सूची बच्चों द्वारा मिटा दी गयी थी,परन्तु अब सही स्पष्ट लिखवा दी गयी है। उपभोक्ताओं को खाद्यान्न सामग्री वितरण करवा दी गयी है एव उपभोक्ताओं से प्रार्थना पत्र लेकर प्रस्तुत है। लॉकडाउन की स्थिति में घर–घर होम डिलेवरी करने के कारण गाव में ही उपभोक्ताओं के गेहूं रखवा दिये गये थे इसलिए वक्त निरीक्षण गेहूं कम पाये गये,परन्तु नियमानुसार दुकान के बाहर सहज दर्शय शब्दों में उचित मूल्य की दुकान लिखा होना चाहिए। वक्त जॉच स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं था। नियमानुसार मूल्य सूची बोर्ड दुकान के बाहर सहज दृश्य स्थान पर होना चाहिए था। नियमानुसार होम डिलेवरी करने के बाद राशन सामग्री उचित मूल्य दुकान के प्रमाणित गोदाम मे होना चाहिए। वक्त निरीक्षण दुकान पर उपस्थित उपभोक्ता श्री मदन लाल पुत्र महावीर माली श्री रामरतन कुम्हार पुत्र छीतर मल कुम्हार श्री मंगला पुत्र माधो माली, रामधन जाट पुत्र मक्खन राम से पूछताछ करने पर बताया की डीलर द्वारा ओटीपी से गेहूँ निकाल लिया गया है,जो वक्त निरीक्षण तक उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया है। अतः उक्त आरोप डीलर पर प्रमाणित है।

डीलर /अपीलांट के उक्त जवाब को सन्तोषप्रद नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार अप्रार्थी डीलर ने विभागीय दिशा–निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन किया है तथा वक्त निरीक्षण पोस मशीन स्टॉक व भौतिक रूप से उपलब्ध गेहूं का मिलान करने पर 341 कट्टे (प्रति कट्टा भर्ती 50 किलोग्राम) कम पाये गये।वक्त निरीक्षण दुकान पर उपस्थित उपभोक्ताओं से पूछताछ करने पर उन्होंने बिना ओटीपी से गेहूँ निकालने व डीलर द्वारा उनको गेहूँ नहीं दिये जाने बाबत अवगत कराया गया।अप्रार्थी डीलर की पोस मशीन पर अग्रिम माह जून 2020 के पेटे 6698 किलोग्राम गेहूं पोस मशीन पर अपडेट नहीं हुआ तथा 341 कट्टे जिनका वजन 17050 किलोग्राम गेहू वक्त निरीक्षण नहीं मिला व 10713 लीटर केरोसीन तथा 36.50 किलोग्राम चीनी का गबन किया गया है.उक्त सामग्री को बाद मे अटेच डीलर को दिया गया है जो प्रवर्तन निरीक्षक देवली की रिपोर्ट दिनांक 17.02.2021 से सिद्ध है।

खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग राज.जयपुर के परिपत्र कमांक एफ 17(16)खा.वि./न्याय/2011 जयपुर दिनांक 29.07.2019 मे अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु अन्य शर्ते निम्न प्रकार है:–

1–कार्यरत प्राधिकार पत्रधारी डीलर की 60 वर्ष की उम्र तक यदि मृत्यु हो जाती है तो 90 दिवस की अवधि मे आवेदन करने पर उपरोक्त प्राथमिकता कम मे मृतक के स्थान पर मृतक के वारिस को उचित मूल्य दुकान का आवंटन किया जावेगा,परन्तु अपीलांट के पिता (डीलर) का प्राधिकार–पत्र दिनांक 21.05.2020 को निलम्बित किया गया है और अपीलांट के पिता (डीलर) कि मृत्यु दिनांक 11.10.2020 को हुई है। इस प्रकार मृत्यु के समय डीलर कार्यरत नही था।

अप्रार्थी डीलर द्वारा बदनियति से गेहूँ का उपभौक्ताओ को वितरण ना कर गम्भीर अनियमितता की है एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों की अवहेलना की है। चूकिं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य आम गरीब जन से जुडा हुआ है। आम उपभोक्ता की सहज मे सूचनाये अंकित होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का

जिला कलेक्टर
टोंक

समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया गया है। जिला रसद अधिकार टोंक ने डीलर द्वारा राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 का उल्लघंन है। अतः इसी आदेश की धारा 8 व 9 के तहत प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया। इस प्रकार उक्त आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 10.10.2023 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज 21.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक